न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022 / 17

श्योकिशन आत्मज छीतर लाल आयु 65 वर्ष जाति बैरवा निवी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल आत्मज खाना जी जाति धाकड ।
2. धनराज आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामविलास साहू, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से

निर्णय दिनांक: 10.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2.. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 278 की रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवा की खसरा नम्बर 212 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 563 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 632 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 686 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा कुल 04 किता की रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णि भूमि में प्रार्थी गोपाल का 1/4 हिस्सा एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 686 में वादी धनराज का

1/3 हिस्सा निहित है । वादी अपने हिस्से की भूमि पर अपने हिस्सेअनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादी अपने खातेदारी व आधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 695 व खसरा नम्बर 694 में होते हुए अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 278 व 686 की भूमि में नक्शे परिशिष्ट "क" में दर्शाए गये रास्तानुसार रास्ते को वर्षों से अपनी भूमि पर आने–जाने व कृषि यंत्रों को ले जाने के काम में उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग बदस्तूर काफी वर्षो से लेते चले आ रहे हैं । अप्रार्थीण उक्त रास्ते का बन्द करने पर आमादा हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे नक्शे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से दर्शाए गये रास्तानुसार 10 फिट चौडा रास्ता घोषित करवाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावें ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शा परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्तानुसार 10 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार रास्ते को राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्त के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

4. अप्रार्थी कम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट समीधी में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 278 रकबा 3.0499 हैक्टर में से 10 X 317 = 3170 वर्गफिट, खसरा नम्बर 678 रकबा 2.4998 में से 10 X 66 = 660 वर्गफिट, खसरा नम्बर 684 रकबा 2.5079 में से 10 X 1214 =12140 वर्गफिट तथा खसरा नम्बर 694 रकबा 0.1780 में से 10 X 66 =660 वर्गफिट कुल क्षेत्रफल 16630 वर्गफिट अर्थात रकबा 0.1546 हैक्टर को डीएलसी दर से दोगुनी राशि जमा कराने पर नया रास्ता कायम करने एवं उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण कम 01 श्योकिशन अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में जैरकार थी । साक्ष्य वादी प्रस्तुत किये बिना ही एकपक्षीय रूप से बिना किसी सूचना एवं जानकारी के कैम्प में पत्रावली को रखकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट की आराजी में से रेस्पोडेन्ट का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है । अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से दवाब देकर कदीमी पुराना रास्ता प्रचलित होने के बावजूद भी जबरन अपीलान्ट की आराजी में सुविधा के लिये रास्ता चाहा जा रहा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना निर्णय पारित किया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 07.11.2021 को दी गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क किया गया जिस पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई । दिनांक 08.11.2021 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 05.01.2022 को वकील साहब द्वारा नकल प्राप्त की गई और वकील साहब ने अपीलान्ट को दिनांक 10.01.2022 को फोन पर जानकारी देने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी । परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य वादी प्रस्तुत किये बिना ही एकपक्षीय रूप से बिना किसी सूचना एंव जानकारी के कैम्प कोर्ट में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने हल्का पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है । मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के नियम 69 की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट के निर्देशों व नियमों के विपरीत निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2021 (2) पेज 1286 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस/सम्मन जारी किये थे । अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामीली करवायी गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी नोटिस/सम्मन अपीलान्ट के पुत्र मांगीलाल को तामील हुए हैं । तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम वैकल्पिक रास्ता नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट उपस्थित नहीं थे । अतः

न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का
स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा
251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कर अपने खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु
अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 278 एवं 686 में से होकर नया रास्ता कायम करने का कथन
किया । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी जिसमें दिनांक 08.07.2021 को
परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य वादी में गवाह पेश करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए
पत्रावली दिनांक 25.10.2021 को पेश होने का अंकन आदेशिका में किया है । परीक्षण न्यायालय
ने दिनांक 25.10.2021 को पत्रावली को प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट समीधी में
पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.10.2021 नियत की गई । परीक्षण न्यायालय ने
जो नोटिस सम्मन भिजवाये थे उनमें अपीलान्ट की तामील उनके पुत्र मांगीलाल के द्वारा की गई
है । परीक्षण न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य वादी में गवाह पेश करना था परन्तु परीक्षण न्यायालय
ने उक्त पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में ग्राम समीधी में रखते हुए निर्णय पारित
किया है। दिनांक 29.10.2021 की आदेशिका में केवल गोपाल के हस्ताक्षर हैं ।

13. परीक्षण न्यायालय में मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को एकपक्षीय तैयार की गई है । उक्त
मौका रिपोर्ट में भी अंकित नहीं है कि अपीलान्ट उपस्थित हुए हैं परन्तु उन्होंने हस्ताक्षर करने से
इंकार कर दिया । तहसीलदार नैनवा ने अपने पत्र कमांक 07 दिनांक 29.10.2021 में परीक्षण
न्यायालय को पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना
अंकित किया है । परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में कैम्प
समीधी में निर्णित किया है । कैम्प समीधी में अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए हैं । परीक्षण
न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस/सम्मन जारी किये थे उनकी तामील उनके पुत्र मांगीलाल
द्वारा की गई है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.02.2020 में अंकित किया है कि
"साक्ष्य वादी में गवाह उपस्थित है । वकील प्रतिवादी जिरह का अवसर चाहते हैं पत्रावली
दिनांक 13.04.2020 को वास्ते साक्ष्य वादी के लिये पेश हो ।" परीक्षण न्यायालय की आदेशिका
दिनांक 12.02.2020 से साबित है कि पत्रावली साक्ष्य वादी के गवाह से जिरह में लम्बित थी
जिसे प्रशासन गॉवों के संग अभियान कोर्ट कैम्प समीधी में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित
किया है । अतः हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि अपीलान्ट को
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) व प्रशासन गॉवों के संग अभियान की भवाना
अनुसार युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने अपने
निर्णय में उल्लेखित किया है **कि "जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की**
कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में
कायम किया जावे ।" परीक्षण न्यायालय द्वारा राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश उचित
प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मुआवजे की राशि का निर्धारण कर उन्हीं खातेदारों को दी जाती है
जिनके खाते की भूमि पर रास्ता कायम किया जाता है । परीक्षण न्यायालय के निर्णय में कहीं
भी यह अंकित नहीं है कि खातेदार (अप्रार्थी) ने राशि लेने से मना किया । इन समस्त तथ्यों
के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत
प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है पक्षकारान को युक्तियुक्त सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के नियम 69 की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा